**भारत सरकार**
**विकास आयुक्त का कार्यालय**
**सीप्ज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**
**अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096**

**सं.सीप्ज़-सेज़/लैब/100/08-09/** 16379 **दिनांक. 15 अक्टूबर, 2015**

# परिपत्र संख्या. 03 /2015-2016

इस कार्यालय के 12 जून, 2009 के परिपत्र संख्या. सीप्ज़-सेज़/लैब/100/08-09 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित कुछेक निर्यात उन्मुख यूनिटों तथा अन्य यूनिटों द्वारा बालमजदूर से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत नहीं कि जा रही है । अतएव सभी यूनिट धारियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सूचनाएं नियमित रूप से प्रस्तुत किया करें ।

1) प्रत्येक ईओयू/सेज़ यूनिट अपने प्रत्येक कर्मचारी की जन्म तिथि का प्रमाणित रिकार्ड रखें ।

2) प्रत्येक ईओयू/सेज़ यूनिट स्वघोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो की पिछले छह महीनों के दौरान कोई बाल मजदूर को काम में नहीं लगाया गया है । यह प्रमाणपत्र प्रत्येक यूनिट द्वारा वर्ष में दो बार अर्थात अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो पूर्ववर्ती छह महीनों का (अक्टूबर से मार्च) तथा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पूर्ववर्ती छह महीनों की अवधि का (अप्रैल से सितंबर) का हो, प्रस्तुत किया जाएगा ।

3) प्रत्येक ईओयू/सेज़ यूनिट के लिए यह आवश्यक है कि वह यूनिट के प्रमुख स्थान पर बोर्ड लगाए जिस पर यह लिखा गया हो, कोई बाल मजदूर काम में नहीं लगाया गया है ।

(पी.एस.रामन)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः-

(1) सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सेज़ यूनिट तथा ईओयू
(2) अध्यक्ष, सीप्ज़ जेम्स तथा ज्वैलरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, सीप्ज़-सेज़
(3) चेयरमैन, सीमा, सीप्ज़-सेज़ मुंबई
(4) क्षेत्रीय निदेशक, 100% ईओयू तथा सेज़ के लिए ईपीसीईएस
(5) आइटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोडींग के लिए